झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा
पंचम (बजट) सत्र
वर्ग-03

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांक- 19, फाल्गुन, 1942 (श0) / 10 मार्च, 2021 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
159.	अ0सू0-20	श्री प्रदीप यादव	राशि का भुगतान करना।	नगर विकास एवं आवास	01.03.21
160.	अ0सू0-17	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	जलछाजन योजना प्रारम्भ कराना।	ग्रामीण विकास	26.02.21
161.	अ0सू0-02	श्री विरंची नारायण	पेयजल की आपूर्ति	पेयजल एवं स्वच्छता	17.02.21
162.	अ0सू0-14	डॉ0 सरफराज अहमद	निविदा का निष्पादन।	पेयजल एवं स्वच्छता	26.02.21
163.	अ0सू0-21	श्री प्रदीप यादव	चापाकलों की मरम्मति कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	01.03.21
164.	अ0सू0-18	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	उपभोक्ताओं को राहत देना।	पेयजल एवं स्वच्छता	26.02.21

राँची,
दिनांक- 10 मार्च, 2021 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-04/2020-1056/वि0स0, राँची, दिनांक- 07/03/21

प्रतिलिपि:-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

07/03/2021
(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-04/2020-1056/वि0स0, राँची, दिनांक- 07/03/21

प्रतिलिपि:-माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

07/03/2021
उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-04/2020-1056/वि0स0, राँची, दिनांक- 07/03/21

प्रतिलिपि:-कार्यवाही शाखा, वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन एवं अनागत प्रश्न समिति शाखा, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

07/03/2021
उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

अरुण

(159)

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जाने वाला प्रश्न संख्या–अ०सू०–20 का उत्तर:–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राँची शहर निर्मित होने वाले 1008 लाईट हाउस के निर्माण हेतु दिनांक–01.01.2021 को शिलान्यास किया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है इस लाईट हाउस परियोजना के तहत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अंशदान के बाद भी लाभुक को एक मोटी रकम (6.79 लाख) का भुगतान स्वयं करना है तथा इतनी मोटी रकम का भुगतान करना गरीबों के लिए असंभव है;	लाईट हाउस परियोजना में प्रति आवास की लागत रू० 13.29 लाख है जिसमें केन्द्र सरकार का 5.50 लाख रू० एवं राज्य सरकार का 1 लाख है। शेष राशि (6.79 लाख) लाभुक के द्वारा देय होगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस योजना को लाभकारी एवं धरातल पर उतारने हेतु लाभुकों को राशि का भुगतान सरकार अपने स्तर से करना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं, नहीं तो क्यों?	लाइट हाउस परियोजना हेतु, योजना धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार रू० 1 लाख एवं केन्द्र सरकार रू० 5.5 लाख का अंशदान दे रही है। शेष राशि लाभुक को वहन करना होगा। इसके अलावे अन्य कोई राशि सरकार द्वारा देय नहीं होगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:– 03/न०प्र०नि०/PMAY-U/श्री प्रदीप यादव/06/2021–914 दिनांक– 08/03/21

प्रतिलिपि– झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का पत्रांक–..... दिनांक–..... के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8.3.2021
सरकार के अवर सचिव।

(160)

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय सo विo सo द्वारा दिनांक–10.03.2021 को सदन में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–17 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.सं.	प्रश्नकर्त्ता– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय सo विo सo	उत्तरदाता माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में 17 जिलों में तालाब, डोभा, ट्रेन्च, चेक डैम आदि के निर्माण हेतु कुल 28 जलछाजन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई थी, परन्तु एजेंसी का चयन नहीं होने के कारण जलछाजन योजना का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है।	वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य के सभी 24 जिलों हेतु स्वीकृत कुल 28 जलछाजन परियोजनाओं की संशोधित स्वीकृति दिसम्बर, 2020 में प्रदान की गई है। वर्तमान में नई जलछाजन परियोजनायें मनरेगा अन्तर्गत अथवा भारत सरकार द्वारा निर्गत राशि से क्रियान्वित किये जाने का प्रस्ताव है। भारत सरकार से जलछाजन परियोजनाओं हेतु प्रस्तावित नई मार्गदर्शिका एवं तद्नुसार स्वीकृत की जाने वाली नई परियोजनाओं के अन्तर्गत ही उक्त योजनायें भी क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐजेंसी का शीघ्र चयन कर जलछाजन योजना को प्रारंभ करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त विवरण के अनुसार भारत सरकार से नई परियोजनाओं हेतु स्वीकृति के उपरान्त उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक– 03(SLNA-JSWM)2021 857 /ग्रा०वि० राँची, दिनांक–04·03·2021

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या– 540, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.03.2021
(घनश्याम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 03(SLNA-JSWM)2021 857 /ग्रा०वि० राँची, दिनांक–04·03·2021

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.03.2021
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 03(SLNA-JSWM)2021 857 /ग्रा०वि० राँची, दिनांक– 04·03·21

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 03 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.03.2021
सरकार के अवर सचिव।

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 10.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०– 02 का उत्तर :–

<table>
<tr><td colspan="2">क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–</td><td>श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राज्यभर में बड़ी संख्या में चापाकल, डीप बोरिंग और जल–मीनारों का निर्माण करवाया गया है,</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि अभी कई चापाकल, डीप बोरिंग और जल–मीनार खराब है, जिससे लोगों को पेयजल की समुचित सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है,</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि प्रतिवर्ष प्राप्त शिकायतों के आधार पर वृहत् पैमाने पर चापानलों की मरम्मति की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त राशि के अन्तर्गत भी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चापानलों एवं जलमीनारों की भी मरम्मति करायी गयी है जिसकी स्थिति निम्न प्रकार है:–
<table>
<tr><th>क्र०</th><th>मरम्मति की स्थिति</th><th>कुल संख्या</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>चापाकलों की विशेष मरम्मति</td><td>8848</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सड़े पाईपों की मरम्मति (RRP)</td><td>12464</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>राइजर पाईप बढ़ा कर चालू किये गये चापाकलों की संख्या</td><td>1634</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>चापाकलों की सामान्य मरम्मति</td><td>110521</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की मरम्मति</td><td>849</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या यह बात सही है कि आगामी ग्रीष्मऋतु में नागरिकों को पेयजल की किल्लत झेलनी पड़ेगी,</td><td>आगामी ग्रीष्मऋतु के मद्देनजर पूरे राज्य में चापानलों की मरम्मति हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
इसके अतिरिक्त माननीय विधायकों की अनुशंसा के आलोक में राज्य के सभी पंचायतों में (05–05 अदद् प्रति पंचायत) नये चापानलों के अधिष्ठापन हेतु भी कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है।
15 वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि के अन्तर्गत पंचायतों को 50% की राशि से जलापूर्ति की व्यवस्था कराये जाने का प्रावधान है।
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उपर्युक्त वर्णित व्यवस्था के अतिरिक्त सतही जल श्रोतों एवं सोलर आधारित मिनी ग्रामीण जलापूर्ति के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था की जा रही है जिससे राज्य की जनता को पेयजल की समस्या नहीं होगी।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार यथाशीघ्र बोकारो सहित राज्यभर में खराब पड़े चापाकलों, डीप बोरिंग और जल–मीनारों का मरम्मत/मेंटेनेंस कार्य सुनिश्चित करवाते हुए लोगों को निर्बाध रूप से पेयजलापूर्ति करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–34/2020– 888 राँची, दिनांक :– 8/3/21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 65, दिनांक– 17.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/02/2021

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–34/2020 – 888 राँची, दिनांक :– 8/3/21

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/02/2021

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(162)

डॉ० सरफराज अहमद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 10.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०– 14 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि Start up Policy, 2016 के द्वारा झारखण्ड सरकार ने 50000000/– (पाँच करोड़) रू० तक के निविदा आमंत्रण में EMD जमा में Earnest Money एवं Experience में छूट देने का निर्णय लिया है, जिससे संबंधित आदेश मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–376/CS, दिनांक–10.04.2019 के द्वारा सभी प्रधान सचिव एवं सचिव को निर्गत किया गया है;	मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–376/CS, दिनांक–10.04.2019 में निम्न तथ्य वर्णित है :– *Jharkhand Startup Policy – 2016 & its amendments/ addendums, Clause 2.4.2, point 9 – Local Preference in tender* : - The Local Startup which are registered or incorporated in Jharkhand shall be entitled for : (a) Exemption from prior experience and turnover criteria of the tenders : In order to promote Startups, State Government shall exempt Startups from the criteria of "prior experience/turnover" for the procurement. The exemption on procurement of order value are as below : I. Up to INR 5.0 (five) crore : Complete waiver in turnover and experience criteria. II. Above INR. 5.0 (five) crore : No waiver in turnover and experience criteria. **The Startups will also have to demonstrate requisite capability to execute the project as per the requirements and must meet quality standards or technical parameters as specification in the tender for the exemption.**
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के सभी विभागों में निविदा का निष्पादन इसी योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है;	इसकी सूचना नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि सिर्फ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सरकार की इस योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है;	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण एवं O&M का कार्य उच्च तकनीकी प्रकृति तथा मानवीय स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। गैर–अनुभवी संवेदकों के द्वारा जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण एवं O&M का कार्य करने से कार्य की गुणवत्ता के साथ–साथ पेयजल के मानकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। साथ ही खण्ड–01 में वर्णित नियम के अनुसार गुणवत्ता एवं तकनीकी मानक/योग्यता पूरा करने के बाद ही नये Startup को कार्य आवंटित किया जा सकता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में भी Start up Policy, 2016 के तहत् आमंत्रित निविदाओं का निष्पादन करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–36/2020– 891 राँची, दिनांक :– 08/3/21

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 411, दिनांक– 26.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

200

08/03/2021

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–36/2020 – 891 राँची, दिनांक :– 8/3/21

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

200

08/03/2021

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(163)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं०–21 का उत्तर

क्रम सं.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर :–
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की 90% आबादी की पेयजल की आपूर्ति का एकमात्र साधन 4.04 लाख चापाकल (नलकूप) है;	स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि चापानलों के अतिरिक्त राज्य में 6,89,147 घरों को FHTC (Functional Household Tap Connection) के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि विगत एक वर्ष से चापानलों की मरम्मति में सरकार द्वारा आवंटन उपलब्ध नहीं कराने के कारण आमजनों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। चापानलों की मरम्मति हेतु सभी पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडलों को वित्तीय वर्ष 2019–20 में समेकित रूप से रू० 14.31 करोड़ तथा 2020–21 हेतु रू० 18.234 करोड़ का आवंटन दिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन खराब चापाकलों के ठीक कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सभी प्रमंडलों को मरम्मति कार्यों हेतु आवंटन दिये जाने के पश्चात चापाकलों की मरम्मति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ताकि राज्य की ग्रामीण जनता को पेयजल से संबंधित किसी प्रकार की समस्या न हो। साथ ही इस क्रम में आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा उक्त कार्यों के सतत् अनुश्रवण हेतु सभी प्रमंडलों के साथ–साथ राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना किया गया है तथा प्रत्येक प्रखंड के लिए नोडल पदाधिकारी भी बनाया जा रहा है।

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक:– 8/अ०सू०–04/2021 – 263/SWSM दिनांक 08/08/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० 747/वि०स०, दिनांक–01.03.2021 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/8/21

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक:– 8/अ०सू०–04/2021–263/SWSM दिनांक 08/08/2021

प्रतिलिपि:– सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्रशाखा–5)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/8/21

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक– 10.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं०– अ०सू०–21 का अनुपूरक उत्तर सामग्री :–

- वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभाग द्वारा राज्यान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में चापाकलों की मरम्मती करायी गयी है जिसकी स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्रम० सं०	मरम्मति की स्थिति	कुल संख्या
1	चपाकलों की विशेष मरम्मति	8848
2	सड़े पाईपों की मरम्मति (RRP)	12464
3	चपाकलों की सामान्य मरम्मति	110521

- वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में चापाकलों की मरम्मति हेतु राशि 18.234 करोड़ रूपये राज्य अन्तर्गत सभी पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डलों को उपलब्ध कराया गया है, जिससे 107810 अदद चापाकलों की साधारण/विशेष मरम्मति तथा 6764 अदद चापाकलो के सड़े राईजर पाईप की मरम्मति कराने का लक्ष्य है।

- वित्तीय वर्ष 2019–20 में मरम्मति संबंधी कार्यों के बकाया भुगतान के लिए गृह–कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राशि रूपये 11.108 करोड़ उपलब्ध कराया गया है, जो संबंधित प्रमण्डलों को आवंटित किया जा रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं इसके उपरान्त गृह–कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नलकूपों की मरम्मति एवं इससे सम्बद्ध कार्य हेतु राशि उपलब्ध नहीं कराने की जानकारी उपलब्ध होने के फलस्वरूप राज्य योजना अन्तर्गत राशि 34.00 करोड़ रूपये का उपबंध किया गया है।

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० के दिनांक–10.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–18 का उत्तर:–

<table>
<tr><th>क्रम</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने झारखण्ड जल कार्य, जल अधिभार, जल संयोजन नियमावली–2020 को मंजूरी दे दी है;</td><td>स्वीकारात्मक।
नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–3427 दिनांक–31.12.2020 के द्वारा 'झारखण्ड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली, 2020' अधिसूचित है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि नई नियमावली में वाटर कनेक्शन दर को चार भाग आवासीय उपभोक्ता, सांस्थिक व सरकारी उपभोक्ता, वाणिज्यिक उपभोक्ता व औद्योगिक उपभोक्ता में किया गया है;</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>क्या यह बात सही है कि पहले जहाँ 500 रूपये में पानी का कनेक्शन मिलता था, नई नियमावली में स्थानीय निकायों को आम उपभोक्ता के लिए 7 रूपये प्रति स्क्वायर फीट वाटर कनेक्शन हेतु देना पड़ रहा है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
पूर्व में गरीबी रेखा से उपर जीवनयापन करने वाले प्रत्येक परिवार (House Hold) (APL) को जल संयोजन शुल्क के रूप में–4000 रूपये (One Time) Charge के रूप लिया जाता था तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों (House Hold) (BPL) के लिए जल संयोजन शुल्क निःशुल्क था।

वर्तमान में झारखण्ड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली, 2020 के प्रावधानों के तहत् जल संयोजन अधिष्ठापन शुल्क निम्नवत् है:–
<table>
<tr><th>Description</th><th>Criteria (built up area)</th><th>Connection Fees (in Rs)</th></tr>
<tr><td rowspan="4">आवासीय उपभोक्ता</td><td>upto 1000 Sq ft</td><td>7000</td></tr>
<tr><td>1001 to 3000 sq ft</td><td>14000</td></tr>
<tr><td>3001 to 5000 sq ft</td><td>28000</td></tr>
<tr><td>Above 5000 sq ft</td><td>42000</td></tr>
</table>
गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों (House Hold) (BPL) के लिए जल संयोजन निःशुल्क है।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आम उपभोक्ता को राहत देने के लिए पूर्व की भांति राशि रखने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>उपर्युक्त कंडिका–3 से स्पष्ट है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों (House Hold) (BPL) के लिए जल संयोजन का निःशुल्क प्रावधान किया गया है।
आम नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति एवं गरीब शहरी नागरिकों को वित्तीय बोझ न पड़े</td></tr>
</table>

		इसके लिए जल संयोजन निःशुल्क रखा गया है। केवल उन्हीं परिवारों से जल संयोजन शुल्क लिया जा रहा है, जो वित्तीय बोझ वहन करने में सक्षम हैं। नगरपालिका को सबल बनाना एवं शहरी नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, ताकि आमजनों को इससे फायदा पहुँचे।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–08 / (अ०सू०प्र०)–01/ 2021 न०वि०आ० 909 राँची, दिनांक 08/03/21

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप० सं० प्र०–526, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8.3.2021

सरकार के अवर सचिव।